अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

पुरूषोत्तम पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा, जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 55, कल्याणपुरी कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

बनवारीलाल सारस्वत पुत्र स्व. श्री भंवरी लाल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पोस्ट तूंगा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.2023 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 80/2022 ब उनवानी बनवारीलाल बनाम पुरूषोत्तम

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 24.08.2023**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 4441/2023 आदेश दिनांक 10.05.2023 की पालना में अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 80/2022 ब उनवानी बनवारीलाल बनाम पुरूषोत्तम में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2023 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी संख्या एक व उसके प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 02.11.2022 को प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने बड़े पुत्र अर्थात अपीलार्थी को उनकी चल व अचल सम्पत्ति से बेखदल कर कानूनी प्रकिया से पाबन्द किये जाने व अन्य अनुतोष प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.01.2023 को विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर दिया तथा दिनांक 23.02.2023 को अपीलार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर दी गई। इसके पश्चात अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2023 को अपीलार्थी के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित कर दिया कि अपीलार्थी प्लॉट नम्बर 55, कल्याणपुरी कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड जयपुर को तत्काल खाली कर अन्यत्र निवास करे ताकि प्रार्थीगण शान्ति से रह कर अपना ईलाज भी करा सके और यह प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा नही करे। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने एक एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 4441/2023 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के समक्ष प्रस्तुत की तथा रिट पीटीशन को अपीलार्थी ने इस शर्त पर विड्रो कर लिया था कि अपीलीएट ऑथरिटी के सामने अपनी अपील प्रस्तुत करना चाहता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2023 को आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी को अपीलीएट ऑथरिटी के सामने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो करने की अनुमति प्रदान कर दी तथा उसमें जो अन्तरिम आदेश पारित किया गया था उस अन्तरिम आदेश को दिनांक 10.06.2023 तक जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। अपने पूरे आवेदन पत्र में प्रत्यर्थी के द्वारा यह तथ्य कहीं वर्णित नही किया है कि वह कौन से नम्बर के प्लॉट में कौन से हिस्से में निवास करता है तथा यह तथ्य भी वर्णित नही किया है कि जिस प्लॉट के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उस प्लॉट का मालिकाना हक व स्वामित्व कैसे आया तथा यह तथ्य भी कहीं वर्णित नहीं किया कि उक्त प्लॉट पर प्रार्थी कितने वर्षो से काबिज होकर निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में उक्त समस्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझ कर प्रकट नही करना, प्रत्यर्थी की बदनीयती को दर्शित करता है तथा उक्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ अधिकरण ने अपना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। प्रत्यर्थी ने अपने सम्पूर्ण आवेदन पत्र में वह दिनांक एवं वर्ष कहीं अंकित नहीं किया गया उसके साथ कौन सी तारीख एवं वर्ष को मारपीट व माँ बहिन की गाली गलौच की गई तथा वह दिनांक भी अंकित नहीं की गई कि प्रत्यर्थी अपने पत्नी के ईलाज के लिये कब बाहर चला गया और अपीलार्थी के द्वारा कब कमरों पर ताला लगा दिया गया। इससे यह तथ्य साबित होता है कि प्रत्यर्थी ने मनमाने तौर पर अपने प्रार्थना पत्र में झूंठे तथ्यों को वर्णित किया गया है। जिस प्लॉट के संबध में प्रत्यर्थी ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, वह प्लॉट वास्तविक तौर पर अपीलार्थी के द्वारा अपनी स्वयं की अर्जित आय से कय किया गया था। वर्ष 1980 से पूर्व ही अपीलार्थी तूंगा में सारस्वत जनरल स्टोर के नाम से परचूनी का व्यवसाय करता था एवं उससे अपनी आय अर्जित करता था तथा इसके पश्चात अप्रार्थी सन् 1985 से ही प्राईवेट कम्पनी में नौकरी करके आय अर्जित करने लगा गया था तथा सन 1987 से अपीलार्थी ने अपना स्वयं का व्यवसाय जो कि अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा उपकरण का था करने लग गया था, जिससे अपीलार्थी को करीबन 25 व 50 हजार रूपये प्रति माह की आय अर्जित हो जाती थी। उसके पश्चात अपीलार्थी के पिता के द्वारा जब प्लॉट संख्या 55 को कय किया गया तो उन्होंने अपीलार्थी से उक्त प्लॉट को कय करने में आर्थिक मदद करने का निवेदन किया तथा अपीलार्थी के द्वारा जो आय अर्जित की जाती थी उससे उक्त प्लॉट को कय करने में अपने पिताजी अर्थात प्रत्यर्थी की आर्थिक मदद की थी। जब प्लॉट संख्या 55 पर निर्माण किया गया तो समस्त निर्माण कार्य अपीलार्थी के द्वारा स्वयं अपनी अर्जित आय से किया था तथा संपूर्ण निर्माण कार्य अपीलार्थी के द्वारा करवाते समय प्रत्यर्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी रहा था। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए भी अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। प्लॉट संख्या 55 पर प्रत्यर्थी व

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उनकी पत्नी श्रीमती चमेली बाई का कब्जा कभी नहीं रहा और प्रारम्भ से ही उक्त प्लॉट पर कब्जा अपीलार्थी का ही चला आ रहा है प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ प्लॉट संख्या 55 पर निवास करने और अपने कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, न ही प्रार्थना पत्र में यह तथ्य वर्णित किया है कि वह कितने वर्षों से उक्त प्लॉट पर काबिज चला आ रहा है। वास्तविक तौर से प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी चमेली बाई का उस प्लॉट पर कभी कब्जा ही नहीं रहा यदि वास्तविक तौर पर उक्त प्लॉट पर प्रत्यर्थी का कब्जा रहा होता तो उस प्लॉट पर निवास करने व काबिज होने के संबंध में कोई दस्तावेज अवश्य बनाते और उन दस्तावेजों के अभाव में यह तथ्य साबित होता है कि प्लॉट नम्बर 55 पर प्रत्यर्थी का कब्जा कभी नहीं रहा। प्रत्यर्थी ने एक झूंठा फौजदारी प्रकरण 23/2011 प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी के बयान हुये तथा उस बयानों में उन्होंने साफ तौर पर इस तथ्य को स्वीकार किया कि मै पैदा होने से आज तक गांव तूंगा में रह रहा हूं व आज तूंगा से ही बयान देने आया हूं । मेरी पत्नी तूंगा में मेरे पास ही रहती है। प्लॉट नम्बर 55 में निर्माण मैने करवाया है जो पुरूषोत्तम के जरिये करवाया है। यह सही है कि मैं मकान खाली करवाना चाहता हूँ। उक्त बयानों से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्यर्थी प्रारम्भ से ही मकान संख्या 55 में निवास नहीं कर रहा है और न ही उक्त प्लॉट पर प्रत्यर्थी का कब्जा है तथा उक्त मकान में अपीलार्थी व उसका परिवार निवास कर रहा है तथा अपीलार्थी ही उक्त मकान पर काबिज है। ऐसी परिस्थितियों में जहां प्रत्यर्थी का मकान पर कब्जा प्रारम्भ से ही नहीं हो तो उस सूरत में प्रत्यर्थी अधीनस्थ अधिकरण के जरिये अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त मकान को खाली कराने का अधिकारी नहीं है तथा न ही प्रत्यर्थी अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2022 में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी अनुतोष केवल सिविल न्यायालय में प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण को प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष के आधारों पर प्रार्थना पत्र को सुनने व निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद अपना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2023 को अपनी लिखित बहस अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी तथा दिनांक 23.02.2023 को ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुये लिखित बहस का अवलोकन किये बिना और उसका हवाला अपने अपीलाधीन निर्णय में दिये गये बगैर अधीनस्थ अधिकरण ने मनमाने तौर पर निर्णय पारित किया है साथ अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस रेफरेन्स केस 2022 (1) डी एन जे पेज 369 2) 2016 (3) सिविल कोर्ट केसेज पेज 486 एवं (4) डी बी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 10305/2018 ओम प्रकाश सैनी बनाम श्रीमती मनभर देवी व अन्य प्रस्तुत किये थे तथा उक्त रेफरेन्स केसों का विवेचन तक नहीं किया गया। प्लॉट नम्बर 55 पर एक मात्र रूप से अपीलार्थी अपने परिवार सहित काबिज चला आ रहा है तथा अपीलार्थी उक्त प्लॉट पर सन् 1980 से निवास करता चला आ रहा है तथा उक्त प्लॉट संख्या 55 पर अपीलार्थी के अतिरिक्त प्रत्यर्थी या उसके अन्य दोनों पुत्र कभी भी काबिज नहीं रहे और ना ही कभी उनके द्वारा निवास किया गया अपीलार्थी के उक्त प्लॉट संख्या 55 पर काबिज होने व रिहायश होने के संबंध में समस्त दस्तावेजात उपलब्ध है। जिनकी फोटो प्रति अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, किन्तु उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजातों की अनदेखी करते हुये अपना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 235/2008 पुलिस थाना महेश नगर जयपुर के समक्ष दर्ज करवाई थी तथा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी व अन्य सह अभियुक्त

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

शशि शर्मा को प्रोबेशन का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी श्रीमती चमेली पर गम्भीर चोट भी कारित करना अपने निर्णय में नहीं माना। प्रकरण संख्या 213/2009 में जो दिनांक 29.07.2016 को बनवारी लाल शर्मा के बयान हुये थे उन बयानों में भी साफ तौर पर प्रत्यर्थी के द्वारा रहना बताया तथा उसमें जयपुर में रहने का कोई राशनकार्ड नहीं होना बताया तथा तूंगा का राशन कार्ड होना स्वीकार किया है, उन बयानों से साफ तौर पर यह बात साबित हो जाता है कि प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी चमेली देवी कभी भी प्लॉट संख्या 55 में नहीं रहे और न ही उक्त प्लॉट में कभी निवास किया और न ही उक्त प्लॉट पर कभी भी प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी का कब्जा रहा । प्लॉट संख्या 55 पर एक मात्र कब्जा अपीलार्थी व उसके परिवार का ही है तथा अपने परिवार सहित उक्त प्लॉट पर का काबिज चला आ रहा है। उक्त प्रकरण में बनवारी लाल शर्मा की पत्नी श्रीमती चमेली के बयानों से भी यह तथ्य साबित हो जाता है कि प्लॉट संख्या 55 पर कभी भी बनवारी लाल शर्मा व चमेली का कब्जा नही रहा है तथा जब बनवारी लाल शर्मा व चमेली देवी का कब्जा उक्त प्लॉट पर कभी नहीं रहा है तो उनको कब्जा प्राप्ति के लिये सिविल न्यायालय में अपना सिविल वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। उपरोक्त अधिनियम 2007 के तहत यह किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रत्यर्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा जब स्वीकृत तौर पर प्लॉट संख्या 55 पर कभी कोई कब्जा बनवारी लाल शर्मा व उनकी पत्नी श्रीमती चमेली का नहीं रहा है तो उनके बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा प्लॉट संख्या 55 को क्रय करने में अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी की काफी आर्थिक मदद की है। शपथ पत्र के अभाव में जो प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के द्वारा अधीनस्थ अधीकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा नहीं दिया गया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र दिया जाना आदेशात्मक है जिसका उलंघन करते हुये प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्लॉट संख्या 55 पर प्रत्यर्थी तथा उसकी पत्नी श्रीमती चमेली का कभी कोई कब्जा ही नहीं रहा है तो उस प्लॉट पर प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी का निवास करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और न ही प्रत्यर्थी, अपीलार्थी व उसके परिवार को उक्त प्लॉट से बेदखल करने का कानूनी अधिकारी है। प्रत्यर्थी आदतन मुकदमेबाज है, प्रत्यर्थी ने अपने चाचा विजयनारायण, बडे भाई केदारमल, अपने चाचा के लडके मोहन लाल व अपनी सगी भुआ ग्यारसी देवी व अपनी भाभी सरजू उर्फ गीता पत्नी श्री केदारमल व लीला पत्नी मोहन लाल के विरूद्ध उनकी सम्पत्तियों को हड़प करने के लिए सिविल मुकदमें कर रखे है तथा इसी आशय से प्लॉट संख्या 55 को हड़पने के लिये उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण ने धारा 4, 5 व 23 अधिनियम 2007 के तहत अधीनस्थ अधिकरण को अपीलार्थी को बेदखली करने का आदेश पारित करने का कानूनी अधिकार ही प्राप्त नही है। धारा 23 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अधीनस्थ अधिकरण ने अपना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि बेदखली से संबंधित अनुतोष केवल सिविल न्यायालय के द्वारा ही प्रदान किये जा सकते है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि के विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से निरस्त किये जाये योग्य है। धारा 5 राजस्थान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम में भरण पोषण हेतु आवेदन दिये जाने की प्रकिया दी गई है और उक्त अधिनियम की धारा 6 में अधिकारिता व प्रकिया को वर्णित किया गया तथा धारा 8 के तहत जांच के मामले में संक्षित प्रकिया किस प्रकार अपनाई

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जायेगी, को वर्णित किया गया है तथा धारा 9 के तहत भरण पोषण हेतु आदेश पारित किये जाने के सबंध मे प्रावधान दिये ये है तथा उक्त धारा 5 से लेकर धारा 9 में अधीनस्थ अधिकरण को किसी अचल सम्पत्ति से किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं दिया गया है तथा अपनी क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर अधीनस्थ अधिकरण ने अपना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपनी रिट संख्या 4441/2023 इसी शर्त पर विड्रा की थी कि वह अपीलीएट ऑथरिटी के सामने अपनी अपील प्रस्तुत करना चाहता है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को अपीलीएट ऑथरिटी के सामने अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रत्रा रखते हुये रिट को विड्रो करने की अनुमति दी है। दिनांक 10.05.2023 को जो रिट अपीलार्थी की माननीय उच्च न्यायालय ने विड्रो करने की अनुमति दी है, यह रिट संख्या 11941/2021 ब उनवानी माया देवी बनाम विश्वेश्वर दयाल व अन्य तथा अन्य संबंधित मामला जो कि दिनांक 01.05.2023 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किये गये, के आधार पर विड्रो करने की अनुमति प्रदान की गई है तथा माया देवी बनाम विश्वेश्वर दयाल व अन्य के मामले मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया था कि धारा 16(1) समस्त व्यथित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिसमे संतान और रिश्तेदार शामिल है। इसलिए अपीलीय अधिकरण को भी अपीलार्थी की रिट संख्या 4441/223 में पारित किये गये आदेश के अनुशरण मे अपीलार्थी की अपील को निस्तारित किया जाना अवश्यक है। अधीनस्थ अधिकरण को बेदखली का आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार व विधिक अधिकार अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत नहीं था, किन्तु उसके पश्चात भी अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतया अवैध व क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किये जाने से निरस्त किये जानो योग्य है। माननीय अपीलीय अधिकरण को जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह आदेश किस प्रकार से अवैध आदेश है और क्षेत्रधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है, उस बिन्दु पर अपना निर्णय प्रदान करना है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2023 को अपास्त करने के आदेश फरमावे।

प्रत्यर्थी एवं उसके प्रतिनधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ अधिकरण में एक परिवाद माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 के तहत पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को सुन कर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं कानून के परिपेक्ष्य में विधि सम्मत आलौच्य आदेश दिनांक 23.02.2023 को प्रार्थी बनवारी लाल के पक्ष में कर दिया तथा अपीलार्थी को आदेशित किया है कि वह प्लॉट नम्बर 55 कल्याणपुरी कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर को तत्काल खाली कर अन्यत्र निवास करे, ताकि प्रार्थीगण शान्ति से रह कर अपना इलाज भी करवा सके, के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य भी उक्त प्रकरण के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है एवं उनका इस प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश 23.02.2023 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नम्बर 55 कल्याणपुरी कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर से अपीलार्थी को बेदखल नही किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी बनवारी लाल शर्मा ने विवादित मकान नम्बर 55 कल्याणपुरी कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर के स्वामित्व बाबत् जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 08 मार्च 2002 को अपने पक्ष में जारी किये गये पट्टे की फोटो प्रति पेश की है, जिससे विवादित मकान प्रत्यर्थी के मालिकाना हक का होने की पुष्टि होती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। "अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसी सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्राथी प्रत्यर्थी की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान 55 कल्याणपुरी कॉलोनी न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर से अपीलार्थी को तत्काल मकान खाली कर अन्यत्र निवास करने के आदेश पारित किये गये है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner